

पत्रांक-/2023

दिनांक-

प्रेषक,

जावेद
अपर सिविल जज (जू०डि०)
बांसी, सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद-सिद्धार्थनगर।

विषय- आवेदन पत्र सं०-S00028532023 पर आपत्ति के स्पष्टीकरण बावत।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रेषक ने अपनी L.L.M. की उपाधि अपने सेवा अभिलेखों में जोड़ने हेतु J.O. पोर्टल पर आवेदन किया था, जिस पर महोदय द्वारा यह आपत्ति की गई है कि आवेदक की L.L.M. की फाइनल मार्कशीट वर्ष 2014 में निर्गत की गई है, लेकिन उपाधि प्रमाण-पत्र वर्ष 2023 में निर्गत हुआ है। इन दोनों के बीच एक बड़ा अन्तराल है। आगे यह भी आपत्ति की गई है कि क्यों उपरोक्त अर्हता उ०प्र० न्यायिक सेवा के आवेदन पत्र में उल्लिखित नहीं की गई है? उपरोक्त आपत्तियों के बावत स्पष्ट करना है कि जिस विश्वविद्यालय से आवेदक ने L.L.M. कोर्स पूर्ण किया है उससे उपाधि निर्गत करने बावत प्रेषक ने कई बार पत्राचार किया, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा न तो उक्त पत्राचार का कोई उत्तर दिया गया और न ही उपाधि निर्गत किया गया। वर्ष 2022 में जब आवेदक व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय जाकर डिग्री निर्गत करने हेतु आवेदन किया तब वर्ष 2023 में विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री निर्गत की गई। डिग्री प्राप्त होते ही आवेदक ने उपाधि सेवा अभिलेखों में जोड़ने हेतु अविलम्ब आवेदन किया है। जहाँ तक उक्त अर्हता का उ०प्र० न्यायिक सेवा के आवेदन पत्र में न जोड़ने का प्रश्न है तो माननीय लोक सेवा आयोग उ०प्र० ने आवेदन में यह निर्देश दिया था कि अभ्यर्थी अपनी अर्हताओं के समर्थन में प्रमाण-पत्र/उपाधि संलग्न करेंगे। चूंकि प्रेषक के पास आवेदन करते समय न तो प्रोविजनल डिग्री उपलब्ध थी और न ही मूल डिग्री उपलब्ध थी। अतः उसने उक्त आवेदन में अपनी अर्हता का उल्लेख नहीं किया था।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक- 20.04.2023

भवदीय

(जावेद)

अपर सिविल जज (जू०डि०)

बांसी, सिद्धार्थनगर।